नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 068
दि. 10.12.2025,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

इंडिगो फिर उड़ान भरने को तैयार—पांच दिन की अराजकता के बाद देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने संचालन को पूरी तरह संभाला

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देशभर में पिछले कुछ दिनों से इंडिगो की उड़ानों में जिस तरह का भारी व्यवधान देखने को मिला, वह भारतीय एविएशन सेक्टर की हाल की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया था। हज़ारों यात्री फंसे, उड़ानें रद्द हुईं, समय पर संचालन लड़खड़ा गया और हवाईअड्डों पर सामान के ढेर लग गए। लेकिन पांच दिनों की उथल-पुथल के बाद मंगलवार को इंडिगो ने आखिरकार घोषणा की कि उसका पूरा नेटवर्क फिर से पटरी पर लौट आया है। एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स ने वीडियो संदेश में स्वीकार किया कि यात्रियों को कठिनाई हुई, पर विश्वास दिलाया कि परिचालन अब स्थिर है और उड़ानें फिर से निर्धारित समय पर चल रही हैं।

एल्बर्स ने कहा कि जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द हुई थीं या लंबे समय तक विलंबित रहीं, उनके टिकट शुल्क की वापसी ऑटोमेटेड तरीके से की जा रही है। कंपनी ने दावा किया कि लाखों यात्रियों को रिफंड भेजा जा चुका है और शेष मामलों पर रोज़ाना काम जारी है। हालांकि अब तक कुल रिफंड राशि का आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी का कहना है कि प्रक्रिया पूरी तरह सुचारु है। हवाई अड्डों पर फंसे बैगों की डिलीवरी लगभग पूरी कर ली गई है और बाकी सामान को घर-घर पहुंचाने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। एयरलाइन ने यह भी बताया कि सोमवार को जहां सिर्फ 700 उड़ानें चली थीं, वहीं मंगलवार को यह संख्या बढ़कर 1800 पार कर गई और आज यानी बुधवार को 1900 उड़ानों का लक्ष्य रखा गया है। ऑन-टाइम परफॉर्मेंस भी सामान्य स्तर पर लौट चुका है।

हालांकि दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने एयरलाइन पर सख्त रुख अपनाया। सोमवार की हाई-लेवल मीटिंग में यह निर्देश दिया गया कि इंडिगो अपनी 10 प्रतिशत उड़ानें तुरंत घटाए—खासकर उन रूटों पर जहां यात्रियों की भीड़ ज़्यादा रहती है। इस निर्णय का असर प्रतिदिन उड़ने वाली 2300 फ्लाइट्स में से लगभग 230 पर पड़ेगा। साथ ही, एयरलाइन को संशोधित शेड्यूल बुधवार शाम तक डीजीसीए के सामने पेश करना होगा। सरकार ने स्थिति की जमीनी हकीकत समझने के लिए देश के 10 प्रमुख हवाईअड्डों—मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा और तिरुवनंतपुरम—पर वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती भी की है। ये अधिकारी सीधे रिपोर्ट करेंगे कि यात्रियों को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है।

इंडिगो ने अपनी ओर से कहा कि "नो क्वेश्चन्स आस्क्ड" नीति के तहत रिफंड प्रक्रिया को पूरी तरह ऑटोमेटेड किया गया है ताकि यात्रियों को बिना किसी झंझट के उनका पैसा मिल सके। एयरलाइन ने लोगों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस वेबसाइट पर अवश्य जांच लें और रिफंड संबंधी जरूरत होने पर ऑनलाइन पोर्टल या कस्टमर केयर चैनलों का उपयोग करें। पिछले कई दिनों की अव्यवस्था के बीच इंडिगो की इस वापसी को कंपनी की "रिकवरी क्षमता" का संकेत माना जा रहा है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय विमानन उद्योग की नाजुक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े कर दिए हैं। फिलहाल यात्रियों को राहत यही है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने फिर से आसमान में अपनी लय पकड़ ली है—और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह भरोसा उसी गति से बरकरार रहेगा।

वोटर सूची विवाद में सोनिया गांधी पर एफआईआर की मांग दोबारा तेज, सेशंस कोर्ट का नोटिस राजनीतिक हलकों में नई हलचल

(जीएनएस)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू सेशंस कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर एक पुराने लेकिन बेहद संवेदनशील विवाद को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। अदालत ने यह नोटिस उस अपील पर विचार करते हुए जारी किया, जिसमें मतदाता सूची से जुड़े एक चार दशक पुराने मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 6 जनवरी 2026 तय की है, जिससे राजनीतिक हलकों, कानूनी बिरादरी और चुनावी प्रक्रियाओं पर निगाह रखने वाले विशेषज्ञों के बीच चर्चाओं का नया दौर शुरू हो गया है।

यह पूरा विवाद वर्ष 1980 से जुड़ा है, जब याचिकाकर्ता वकील विकास त्रिपाठी के अनुसार, सोनिया गांधी का नाम पहली बार मतदाता सूची में दर्ज हुआ था, जबकि उस समय वह भारतीय नागरिक नहीं थीं। याचिका में वर्णित तथ्यों के अनुसार, 1982 में यह रिकॉर्ड हटाया गया और 1983 में दोबारा जोड़ा गया, जब उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली। याचिकाकर्ता का दावा है कि 1980 में यदि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हुआ था, तो इसके लिए किसी न किसी स्तर पर गलत, भ्रामक या फर्जी कागजात का इस्तेमाल किया गया होगा, जो भारतीय दंड संहिता में संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर शिकायतकर्ता ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, जिसे मजिस्ट्रेट अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें आगे जांच की आवश्यकता नहीं है। मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले में न तो सोनिया गांधी को और न ही दिल्ली पुलिस को कोई नोटिस जारी किया। लेकिन अब सेशंस कोर्ट द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद यह मामला अचानक दोबारा जीवंत हो गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, यह प्रकरण ऐसे समय में सामने आया है, जब देश की राजनीति पहले से ही कई विवादों और संवेदनशील मुद्दों से गर्म है, और ऐसे में सोनिया गांधी जैसे बड़े नाम से जुड़ा कोई भी कानूनी मामला स्वतः ही राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन जाता है। चुनाव प्रक्रियाओं और मतदाता सूची की ऐतिहासिक पद्धतियों पर भी इस मामले ने एक नई बहस छेड़ दी है। 1980 के दशक में मतदाता सूची बनाने की प्रणाली आज की तरह डिजिटल, पारदर्शी या सख्त नहीं थी। कई बार रिकॉर्ड अपडेट होने में देरी, दस्तावेज़ी जांच में ढिलाई या स्थानीय स्तर पर मानवीय त्रुटियां भी सामने आती थीं। लेकिन यदि किसी नागरिक का नाम उस समय सूची में दर्ज हुआ, जबकि वह भारतीय नागरिक ही न हो, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यह चूक कैसे हुई और जिम्मेदारी किसकी थी।

सेशंस कोर्ट की ओर से भेजा गया नोटिस कोई अंतिम निर्णय नहीं है, लेकिन यह संकेत जरूर देता है कि अदालत इस मामले की कानूनी जटिलताओं को गहराई से सुनना चाहती है। अब अगली सुनवाई में यह देखा जाएगा कि क्या अदालत मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को बरकरार रखेगी या याचिकाकर्ता की मांग के अनुसार मामले में जांच की अनुमति देगी। यदि अदालत जांच शुरू करने का आदेश देती है, तो यह मामला लंबे समय तक राजनीतिक और कानूनी विमर्श का हिस्सा बना रह सकता है। अब सभी की निगाहें 6 जनवरी 2026 की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि यह मामला आगे किस दिशा में बढ़ेगा और क्या देश की राजनीति में एक नई कानूनी बहस का अध्याय खुलने वाला है।

कड़कड़डूमा कोर्ट में हंगामा, CJI पर जूता फेंकने वाले वकील पर वकीलों का गुस्सा फूटा, भीड़ में हाथापाई का वीडियो वायरल

(जीएनएस)। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में मंगलवार सुबह अचानक तनाव का माहौल बन गया, जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की ओर जूता उछालने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर को पेशी के लिए लाया गया। कोर्ट परिसर में उनके पहुंचते ही पहले से मौजूद वकीलों की भीड़ भड़क उठी और देखते ही देखते माहौल गरमा गया। जैसे ही राकेश किशोर सुरक्षा कर्मियों के बीच भीतर की ओर बढ़े, कई वकीलों ने उनका रास्ता रोकते हुए आपत्ति जताई और उन पर हाथापाई की कोशिश की।

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में राकेश किशोर भीड़ से खुद को बचाते हुए पीछे हटते दिखाई देते हैं, जबकि सुरक्षाकर्मी उन्हें किसी तरह बाहर निकालकर अदालत के भीतर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ में मौजूद कुछ वकील गुस्से में नारेबाजी भी करते नजर आते हैं। घटना ने कुछ ही मिनटों में कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी जैसा माहौल बना दिया।

यह वही राकेश किशोर हैं जिन्होंने 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के दौरान अचानक चीफ जस्टिस गवई की ओर जूता उछालने की कोशिश की थी। हालांकि, आस-पास मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को काबू में कर लिया था। जूता फेंकने की कोशिश के बाद राकेश किशोर ने 'सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान' के नारे लगाए थे। बताया जाता है कि वह CJI की एक टिप्पणी से नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने अदालत की गरिमा के विरुद्ध यह कदम उठा लिया।

घटना के बाद कानूनी बिरादरी ने व्यापक विरोध जताया था। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकीलों ने प्रदर्शन किया और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे कृत्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने इस मामले में अवमानना कार्यवाही शुरू करने की संस्तुति भी कर दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करने से इनकार किया और टिप्पणी की थी कि ऐसी हरकत को जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।

लेकिन कड़कड़डूमा कोर्ट में हुआ ताज़ा हंगामा एक बार फिर इस घटना को सुर्खियों में ले आया है। अदालत परिसर में वकीलों द्वारा दिखाई गई नाराज़गी इस बात का संकेत है कि न्यायपालिका पर हमला चाहे प्रतीकात्मक ही क्यों न हो, वकील समुदाय इसे बेहद गंभीरता से ले रहा है। सुरक्षा एजेंसियां अब यह जांच कर रही हैं कि राकेश किशोर को पेशी के दौरान भीड़ के बीच कैसे लाया गया और अदालत परिसर की सुरक्षा में ऐसी चूक कैसे हुई।

पूरे घटनाक्रम के बाद न्यायालय परिसर में सुरक्षा और सख्त कर दी गई है, जबकि इस मामले से जुड़ा विवाद एक बार फिर कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश पर कर्नाटक हाईकोर्ट की रोक, नीति के कानूनी अधिकार पर बड़ी बहस तेज

(जीएनएस)। कर्नाटक में महिला कर्मचारियों को हर माह एक दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश अनिवार्य रूप से देने के राज्य सरकार के फैसले पर अब कानूनी पेंच फंस गया है। सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिससे पूरे राज्य में शुरू हुई नई बहस और गहरी हो गई है। कोर्ट का यह फैसला बैंगलोर होटल ओनर्स एसोसिएशन की उस याचिका पर आया, जिसमें दावा किया गया था कि अवकाश नीति बनाना पूरी तरह संस्थानों का आंतरिक मामला है और सरकार को इसे बाध्यकारी बनाने का अधिकार नहीं है।

अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि श्रम कानूनों के तहत राज्य सरकार किसी भी निजी या व्यावसायिक संस्थान को ऐसी नीतियां थोपने को बाध्य नहीं कर सकती। उनका कहना था कि हर संस्था की अपनी कार्यप्रणाली, संसाधन और कर्मचारियों की संरचना अलग होती है, ऐसे में सरकार द्वारा एक समान आदेश लागू करना व्यावहारिक और कानूनी दोनों ही आधारों पर उचित नहीं है। वहीं न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुनने के बाद 12 नवंबर को जारी सरकारी आदेश पर अस्थायी रोक लगाते हुए इसे अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि राज्य सरकार चाहे, तो वह अंतरिम स्थगन हटाने के लिए आवेदन दे सकती है और अपने फैसले की वैधता का बचाव कर सकती है। इस टिप्पणी ने संकेत दिया है कि मामला अभी लंबा चलने वाला है और सरकार व याचिकाकर्ताओं के बीच कानूनी तकरार और बढ़ सकती है।

सरकार का यह आदेश जारी होने के बाद इसकी देशभर में सराहना के साथ-साथ आलोचना भी हुई थी। समर्थकों का तर्क था कि मासिक धर्म अवकाश महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सम्मान और कार्यस्थल पर समानता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। विरोधियों का कहना था कि इससे संस्थानों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा और छोटे प्रतिष्ठानों के सामने संचालन संबंधी मुश्किलें पैदा होंगी। अब हाईकोर्ट की रोक से यह पूरा मुद्दा फिर विवाद के केंद्र में आ गया है। सरकारी विभागों से लेकर निजी उद्योगों तक सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, क्योंकि यह मामला केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि भविष्य में पूरे देश में महिलाओं की कार्यस्थल नीतियों और अधिकारों पर असर डाल सकता है।

दादरा की प्लास्टिक फैक्ट्री में भड़की भीषण आग, धमाकों से दहला औद्योगिक इलाका, कई इकाइयां चपेट में

(जीएनएस)। दादरा और नगर हवेली के शांत लेकिन व्यस्त औद्योगिक इलाके में सोमवार सुबह महज कुछ ही मिनटों में अफरातफरी मच गई, जब दादरा गांव स्थित एक प्लास्टिक निर्माण फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते उसने पास की कई अन्य कंपनियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री में मौजूद भारी मात्रा में प्लास्टिक सामग्री ने आग को और उग्र बना दिया, जिससे परिसर में लगातार धमाकों जैसी आवाजें गूंजने लगीं और पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई।

धुएं का काला गुबार आसमान तक उठता दिखाई दे रहा था और आसपास बसे लोग व कर्मचारी अपने-अपने कार्यस्थलों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। सूचना मिलते ही दादरा और नगर हवेली की फायर ब्रिगेड सबसे पहले मौके पर पहुंची, लेकिन आग की तीव्रता को देखते हुए तुरंत वापी और सगीगाम से भी अतिरिक्त दमकल टीमों को बुलाया गया। प्लास्टिक से भरे गोदामों और मशीनरी के कारण आग लगातार फैलती रही, जिससे दमकलकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने तुरंत नजदीकी संवेदनशील इलाकों को खाली कराया और औद्योगिक क्षेत्र में आवाजाही रोक दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पूरे क्षेत्र को घेराबंदी में लेते हुए दमकलकर्मियों की मदद से हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की। कई घंटों की लंबी कार्रवाई के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया, हालांकि फैक्ट्री परिसर अभी भी सुलग रहा है और कुलिंग का काम लगातार जारी है, ताकि दोबारा आग भड़कने की संभावना को रोका जा सके।

फायर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अमरत लाल ने बताया कि आग इतनी तीव्र थी कि उसने आसपास की कुछ अन्य इकाइयों को भी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि समय रहते कर्मचारियों को निकाल दिए जाने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने का वास्तविक कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र के व्यापारियों और कर्मचारियों में इस घटना को लेकर तनाव का माहौल है, क्योंकि जिस तेजी से आग फैली, उसने स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था और अग्निशमन तैयारियों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों ने जांच के बाद उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल पूरा प्रशासन आग की वजहों की पड़ताल करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में जुटा हुआ है।

नवसर्जन संस्कृति हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

राष्ट्रीय एकता जगाने का गान बने

यह सुखद ही है कि कृतज्ञ राष्ट्र देश के स्वतंत्रता सेनानियों में ओज का संचरण करने वाले गीत वंदे मातरम के सृजन के डेढ़ सौ साल पूरे होने को एक उत्सव की तरह मना रहा है। स्वतंत्रता के लिये संघर्षरत करोड़ों भारतीयों में इस गीत ने आजादी का जज्बा भरा था। लाखों स्वतंत्रता सेनानी इस गीत से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में सर्वस्व अर्पित करने को तत्पर हो जाते थे। इस पावन वेला में देश के विभिन्न भागों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सही मायनों में यह अवसर राष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का भी है। इस गीत की सर्वस्वीकार्यता का आलम ये था कि भारत आने से पहले दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान की दृष्टि से देखा था। इसी आलोक में वंदे मातरम के डेढ़ सौ साल पूरे होने पर लोकसभा में इस पर चर्चा का शुरू होना सुखद ही है। संसद में प्रधानमंत्री ने कहा भी कि जब इस गीत के सृजन के पचास साल पूरे हुए तो देश परतंत्र था। जब इसके सौ साल पूरे हुए तो देश आपातकाल के दौर से गुजर रहा था, फलतः उस दौर में इस गीत को जनता व स्वतंत्रता सेनानियों का सकारात्मक प्रतिसाद नहीं मिला। निस्संदेह,बंकिम चंद्र चटर्जी की इस रचना ने बंगाल में क्रांतिकारियों को गहरे तक प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम को गति देने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। हालांकि, विपक्ष इसे सुर्खियों में लाने के फैसले के राजनीतिक निहितार्थों की बात कर रहा है। वे इसके समय को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं। अविभाजित बंगाल की पृष्ठभूमि में जन्मे इस ओज के गीत को बंगाली समाज ने अपनी अस्मिता से जोड़कर देखा। खासकर बंगाल विभाजन के बाद इसे बंगाल की अस्मिता पर फिरंगियों के प्रहार के दौर में एक मरहम के तौर पर देखा। निस्संदेह, देश ऐसे स्मरण उत्सव का हकदार है, मगर वे चुनावी नजरियों से मुक्त हों।

विपक्ष की दलील है कि जब पश्चिम बंगाल एक महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है तो इस गीत के प्रसंगवश राजनीतिक लाभ-हानि के तर्क गढ़े जा रहे हैं। संसद में प्रधानमंत्री के संबोधन में वंदे मातरम को एकता के सूत्रधार के रूप में सराहा गया। लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थों पर भी चर्चा हुई। दरअसल, उन्होंने जब भी कांग्रेस की आजादी से पहले और बाद की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया या फिर ऐतिहासिक विवादों का नये सिरे से जिक्र किया, तो विपक्ष ने उसे निशाने पर लिया। विपक्षी दलील है कि राष्ट्रीय गीत का सम्मान करने की कवायद में वैचारिक विभाजन को हवा दी जा रही है। कहा गया कि पश्चिम बंगाल, जहां इस गीत का जन्म हुआ, वहां की सांस्कृतिक पहचान राजनीति से जुड़ी रही है। वंदे मातरम एक भावनात्मक प्रतीक है और इसीलिए एक रणनीतिक प्रतीक भी। दरअसल, विपक्ष की नाराजगी राजग सरकार की उस प्रवृत्ति को लेकर है जिसमें वह सांस्कृतिक प्रतीकों को राजनीतिक अखाड़े में बदल रही है। उन्हें आशंका है कि साझी विरासत पर चिंतन के लिये आयोजित विमर्श का उपयोग चुनावी लाभ अर्जित करने के लिये किए जाने का खतरा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अपनी जड़ें जमाए हुए है, फिर भी उसे सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। संसद में राष्ट्रीय गीत पर चर्चा का ममता बनर्जी द्वारा समर्थन किया जाना दर्शाता है कि वह इस मुद्दे को छोड़ने का इरादा नहीं रखती हैं। विडंबना ही है कि लाखों स्वतंत्रता सेनानियों में ओज भरने वाले गीत के विमर्श में चिंतन की गंभीरता प्रभावित हुई है। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल आज बेरोजगारी, पलायन और राजनीतिक हिंसा से जूझ रहा है। इसमें दो राय नहीं कि हमारा सांस्कृतिक गौरव आवश्यक है, लेकिन यह सुशासन का विकल्प नहीं हो सकता। इस ओज के गीत के 150 साल पूरे होने पर, इसे एकता को मजबूत करने और राष्ट्रवाद को बहुलता से स्वीकार करने के अवसर के रूप में होना चाहिए था। लेकिन इसके बजाय, इस बहस के ध्रुवीकृत माहौल में बदलने के विवाद के पैदा होने की चिंता है। सही मायनों में देश के नेतृत्व का इतिहास का उपयोग राष्ट्र को एकजुट करने वाला होना चाहिए।

कर्तव्य में एकता सुनिश्चित करती सेना की नैतिकता

> हाल ही में पूजास्थल में जाने से इनकार करने वाले अधिकारी को सेवा मुक्त किए जाने का निर्णय बरकरार रखना ऐसे मामलों में भविष्य की दिशा तय करने वाला है। विवाद किसी अनुष्ठान को लेकर नहीं , बल्कि सम्बद्धता, कर्तव्य और एक विविधतापूर्ण सेना की संवैधानिक संरचना के बारे में है। यूं भी सेना अपने सैनिकों के लिए आस्था का चयन नहीं करती; यह यकीनी बनाती है कि आस्था एकता में बाधक न बने।

कई बार ऐसे क्षण होते हैं जब अदालत का निर्णय किसी विवाद को निबटाने से अधिक बन जाता है; यह दिशा तय करता है। अपने सैनिकों के साथ रेजिमेंटल पूजास्थल के भीतर जाने से इनकार करने वाले एक अधिकारी को सेवा मुक्त किए जाने के निर्णय को बरकरार रखने वाला सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ऐसा ही एक क्षण है। यह उस सच्चाई की पुष्टि करता है जो सैनिक सदा जीता है व जिसे लोकतंत्रों को निरंतर मजबूत करना चाहिए : एक गणराज्य अपने संस्थानों के बूते खड़ा होता है और संस्थान अपना प्रण ईमानदारी से निभाने पर खड़े होते हैं।

सार्वजनिक बहस में, और कुछ टिप्पणियों में, इस मामले को लंबे समय से चली आ रही सैन्य प्रथाओं पर फिर से विचार करने के अवसर के रूप में लेना, इसको गलत अर्थ देना होगा। यह व्याख्या केंद्रीय बिंदु से चूक जाती है। मामला यहां किसी अनुष्ठान पर विवाद को लेकर नहीं है, बल्कि सम्बद्धता, कर्तव्य और एक विविधतापूर्ण सेना की संवैधानिक संरचना के बारे में है।

यह विवाद एक रेजिमेंट में उत्पन्न हुआ, जहां एक मंदिर और गुरुद्वारा साथ-साथ हैं और लंबे समय से एक एकीकृत सर्व धर्म स्थान के रूप में सुचारू हैं। अधिकारी ने यह कहकर अंदर जाने से इनकार कर दिया कि उसकी धार्मिक मान्यता उस पूजा स्थल के गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती। समूची सेना में, ऐसे स्थानों को मान्यता की दरकार नहीं है; बल्कि वे तो सह-अस्तित्व को पुष्ट करते हैं। उनका मंतव्य केवल इतना कि विविधता के बीच, सम्बद्धता में दरार न आने पाए। परामर्श-सत्र और एक पादरी द्वारा यह आश्वस्त किए जाने के बाद भी कि पूजा स्थल पर प्रवेश करना उसके धर्म से समझौता नहीं है, वह अधिकारी अपने रुख पर अडिग रहा।

विविधता में एकता का मतलब कभी भी इकाइयों के अंदर रार पैदा करना या किसी आदेश के मनमाफिक मायनों को प्रस्तुत करना नहीं रहा। सेना ने एकता का अर्थ कभी भी संख्या, अनुपात

या निर्धारित संरचनाओं के रूप में नहीं लिया। जो कोई भी एक साथ खड़ा है, जहां कहीं से भी वो आता है और जिस भी अनुपात में दिखाई देता है, वह भी एकता है, क्योंकि सामंजस्य कोई गणित नहीं; यह अनुभूत अनुभव है। यही कारण है कि कुछ टिप्पणियों में दिया गया सुझाव कि यह मामला वर्गीय संरचनाओं अथवा रेजिमेंटल प्रथाओं पर पुनर्विचार के लिए प्रेरित करे, पूरी तरह बिंदु से चूक जाता है। सेना के अंदर की एकता बाहरी रूपरेखा से निर्मित नहीं है; यह साझे कर्तव्य, साझे खतरे और उस शपथ से कायम रहती है, जो प्रत्येक सैनिक को दूसरे से जोड़कर रखती है।

एक घटना, चाहे वो कैसी भी दिखाई दे, उसका उपयोग एक संस्थागत संरचना को फिर से खोलने या पुनः व्याख्या करने के लिए नहीं किया जा सकता। कर्तव्य निर्वहन से इंकार को समझना चाहिए, न कि पुनः रूपरेखा के लिए, और जो भी इस नैतिकता विशेष की पुनः व्याख्या में लगते दिखाई दे रहे हैं, निश्चित ही वे इसके वर्ण, वर्णमाला और व्याकरण से अनभिज्ञ हैं। सेना की प्रथाएं युद्ध की वास्तविकताओं, सामंजस्य की दरकार और विविधतापूर्ण इकाइयों द्वारा एकीकृत होकर लड़ने वाले अनुभूत अनुभव से ढाली गई हैं। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि अगर उक्त अधिकारी बहुसंख्यक समुदाय से होता, तब क्या प्रतिक्रिया अलग होती। यह सवाल फौजी वर्दी को गलत तरीके से पढ़ता है। सेना पहचान को अधिमान नहीं देती; दायित्व पर जोर देती है। एकता जनित कर्तव्य का उल्लंघन एक समान है, चाहे वह कोई भी करे। नैतिकता किसी एक या कई के लिए, अल्पसंख्यक से हो या बहुसंख्यक वर्ग से, सबके लिए समान है, क्योंकि जिस घड़ी पहचान में गणित प्रवेश करता है, उसी पल सामंजस्य का निकास हो जाता है। इसलिए यह निर्णय इस बारे नहीं कि अधिकारी कौन था। इस बारे है कि संस्था को कैसी बने रहना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने उस अधिकारी को सेवामुक्त किए जाने का फैसला बरकरार रखा, इसलिए नहीं कि यहां उसकी ईमानदारी पर शक है, बल्कि इसलिए कि उसका मानना है कि सशस्त्र पेशे में धार्मिक मान्यता को कर्तव्य से ऊपर नहीं रखा जा सकता। यहां निजी व्याख्या से रेजिमेंटल वैध प्रथा को अलग करके लिया जा रहा था। वह भी एक ऐसे बल में जहां परिचालन में एकता पर समझौता नहीं हो सकता, यह कृत्य अनुशासनहीनता का है। सेना ने अपने शासनादेश के भीतर रहकर काम किया; अदालत ने इसे बरकरार रखा क्योंकि यह निष्पक्ष -निर्भय होकर काम करने वाले बल की रीढ़ संवैधानिक रूप से मजबूत करता है। यह समझने को कि विश्वास को कर्तव्य से ऊपर क्यों नहीं रखा जा सकता, उसे सैनिक बनने के व्याकरण को पुनः पढ़ना होगा। थलीय युद्ध का ढंग कभी नहीं बदलता : हाथ से हाथ, संगीन से संगीन, आदमी से आदमी, टैंक से टैंक। आमने-सामने के युद्ध में दरार की कोई गुंजाइश नहीं बचती। विभिन्न हथियारों और सेवाओं वाली सेना में विविधता वर्णमाला है। व्याकरण है आक्रमण, बेदखली, कब्जा और पकड़, थलीय युद्ध का निष्ठुर वाक्यविन्यास जिसे अटूट सामंजस्य की दरकार है। अक्षर, वर्णमाला और व्याकरण के बीच, स्थिरांक है व्यक्ति : उसकी सहज प्रवृत्ति, प्रेरणा व उसकी चिरस्थायी संहिता... नाम, नमक, निशान।

विविधता में एकता एक आकांक्षा नहीं; परिचालन की जरूरत है। सैन्य इकाई चाहे सर्व-वर्गीय हो, मिश्रित वर्ग की हो या निर्धारित वर्ग की, अधिकारी स्तरीय नेतृत्व हमेशा मिश्रित रहा है। इस तंत्र के वास्ते सर्वधर्म स्थल होते हैं। यह कोई अनुष्ठान नहीं; यह तो स्वतंत्रता उपरांत एक संस्थागत नीति है जो तय करती है कि हरेक सैनिक अपने साथियों संग खड़ा हो सके, भले वे समान रूप से पूजा न करें। यह सेना का एकता बनाने का अपना देसी व्याकरण है।

यह निर्णय मायने रखता है क्योंकि सेना गणतंत्र में संवैधानिक नागरिकता का सबसे अधिक दिखाई देने वाला संस्थान है। यह वह जगह है जहां प्रत्येक फौजी टुकड़ी की पंक्ति में विभिन्न भाषा, क्षेत्र, जाति और पंथ दिखाई देते हैं, फिर भी किसी के लिए विशेषाधिकार या प्राथमिकता निर्धारित नहीं। सेना की नैतिकता मतभेद मिटाना नहीं, बल्कि मतभेदों को अलगाव बनाने से रोकना है। यह लाखों पहचानों को, दूसरे की कीमत पर, खुद को हावी किए बिना, एक वर्दी पहनने की अनुमति देती है।

यह नैतिकता सजावटी नहीं। यह अनुशासन, विश्वास और परिचालन एकता की नींव है। जो क्षण सामूहिक पहचान का प्रतीक बन जाता हो, वहां एक सेनापति अपने सैनिकों से अलग खड़ा नहीं हो सकता। यदि कोई निजी पसंद के जरिये संस्थागत प्रथा की पुनः व्याख्या करने लगे तो कोई इकाई एकजुट नहीं रह पाएगी। अदालत ने माना, ऐसा रास्ता एक धर्मनिरपेक्ष, अराजनैतिक बल को कमजोर कर देगा। सेना की धर्मनिरपेक्षता यह सुनिश्चित कर सबके हकों की रक्षा करती है कि कोई भी श्रेष्ठता स्थापित न करे। यहां सेना के लिए भी ताकीद है। केवल परंपरा से सामंजस्य की गारंटी नहीं। प्रत्येक बार जब शपथ को व्याख्या से ऊपर रखा जाता है, सामूहिक नैतिकता को बिना हिचकिचाहट बरकरार रखा जाता है, तो इसका नवीनीकरण हो जाता है। सेना अपने सैनिकों के लिए आस्था का चयन नहीं करती; यह यकीनी बनाती है कि आस्था केंद्र भावना में दरार न डाले। ऐसे युग में जब समाज अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जब शोर सूक्ष्मता पर हावी है और पहचान सहानुभूति से आगे निकल चुकी है, भारतीय सेना की नैतिकता एक राष्ट्रीय स्थिरांक बन जाती है। दर्शाती है कि सह-अस्तित्व कोई आदर्श न होकर, एक रुटीन है। यह दर्शाती है कि पदानुक्रम के इतर असहमति बनी रह सकती है और साझा उद्देश्य अंदरूनी मतांतर रेखाओं से ऊपर हैं।

सेना के फैसले को बरकरार रखते हुए, सुप्रीमकोर्ट ने ऐसे सिद्धांत को मजबूत किया जिसने भारत को युद्धों, उथल-पुथल और अनिश्चितता के बीच से निकाला है। वह धुरी जो इसे कायम रखे है। यह उस प्रतिज्ञा के प्रति निष्ठा से बनी है जो दस लाख सैनिकों को एक सूत्र में पिरोए है। जब उस प्रण को बरकरार रखा जाता है, तो गणतंत्र स्थिर रहेगा, फौजी संस्था इस पर स्पष्ट खड़ी दिखाई देती है, और हर पद के लिए सुस्पष्ट संदेश सदा है : कर्तव्य में एकता से कोई समझौता नहीं।

प्रेरणा

एक माँ की आँखों में बसे ब्रह्मांड की कहानी

दक्षिण भारत के पवित्र अंचल में एक साधु रहते थे—संत चिदंबरम्। उम्र भले ही अधिक न हो, पर अनुभूति इतनी गहरी कि राजाओं से लेकर साधारण किसानों तक, सब उनके पास आते और उनसे मार्गदर्शन लेकर लौटते। उनका चेहरा हमेशा शांत रहता, जैसे भीतर कहीं एक स्थिर झील हो—अलसाई नहीं, पर बिल्कुल निर्विकार।

वे दिन भर साधना में रहते, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते, और जब कोई मिलने आता तो उसे प्रेम से बैठाते, उसकी बात पूरी सुनते, फिर बड़ी सहजता से ऐसा उत्तर देते कि व्यक्ति का मन हल्का हो जाता। वे कहा करते थे—"समाधान पुस्तकों में नहीं, आपके अंतःकरण में छिपा होता है। मैं तो बस उसे आपको दिखा देता हूँ।"

एक दोपहर की बात है। सूरज की तपिश कम होने लगी थी, और आश्रम में हल्की-हल्की हवा बह रही थी। ऐसे समय एक दंपति संत के पास पहुँचा। उनके चेहरों पर दुःख की महीन रेखाएँ थीं, और आँखों में एक अजीब-सी थकान। महिला संत चिदंबरम् के चरणों के पास बैठते ही रो पड़ी और बोली—

"महाराज, हमारे विवाह को कई वर्ष हो गए। घर बड़ा है, पैसा है, सुख-सुविधाएँ हैं, पर संतान नहीं है। जीवन खाली-खाली लगता है। आशीर्वाद दें, पुत्र न सही, एक पुत्री ही हो जाए बस एक बच्ची, जिसे हम गले लगा सकें।" संत चिदंबरम् शांत रहे, कुछ क्षण तक उसे देखते रहे, फिर आश्रम के एक कोने में रखी टोकरी से एक मुट्ठी चने उठाकर उस महिला की ओर बढ़ा दी।

"इन्हें आराम से खाओ," वे बोले, "एक घंटे बाद मैं तुमसे बात करूंगा।"

महिला को बात कुछ अटपटी लगी, लेकिन वह आज्ञाकारी होकर आश्रम के आँगन के पेड़ के नीचे बैठ गई। उसका पति वहीं पास ही बैठा रहा। वह धीरे-धीरे चने खाने लगी।

उसी समय एक दस-बारह साल का बच्चा, जो शायद किसी श्रमिक का बेटा था, उधर से गुजरा। उसके चेहरे पर थकान और भूख साफ दिख रही थी। बच्चा कुछ क्षण उस महिला को देखता रहा, फिर अत्यन्त संकोच से बोला—

"अम्मा थोड़ा चना दे दो बहुत भूख लगी है।"

महिला ने उसका चेहरा देखा, फिर अपने चनों पर नज़र डाली, और त्योरियाँ चढ़ाते हुए बोली—

"हटो यहाँ से! ये मेरे हैं। मैं किसी को नहीं दूँगी।"

बच्चा डर गया और चुपचाप वहाँ से चला गया।

एक घंटे बाद महिला संत के पास पहुँची। वह उम्मीद कर रही थी कि अब कोई मंत्र, कोई आशीर्वाद या कोई पवित्र समाधान मिलेगा।

संत चिदंबरम् ने उसकी ओर देखा और बड़े गहरे स्वर में कहा—

"देवी तुम संतान की इच्छा लेकर आई थीं। पर अभी थोड़ी देर पहले एक भूखे बच्चे ने तुमसे चार चने माँगे थे और तुमने उसे एक भी चना नहीं दिया। तुम्हारे हृदय में उस बच्चे के लिए करुणा क्यों नहीं जगी? जब मन में ममता का स्रोत सूखा हो, तो सृष्टि वहाँ जन्म का वरदान कैसे दे सकती है?"

महिला सकपका गई। उसने सोचा भी नहीं था कि इतना छोटा-सा प्रसंग उसके भीतर की सच्चाई उजागर कर देगा। संत धीरे से मुस्कुराए।

"संतान केवल गर्भ से नहीं, ममता से जन्म लेती है। एक माँ का दिल हर बच्चे को अपना मानता है—अपना हो या पराया, वह भूखे बच्चे को देखकर विचलित हो जाती है। तुम्हें ईश्वर से संतान चाहिए, पर तुम्हारे भीतर एक अनजान बच्चे के लिए भी क्षणभर की करुणा न उठी। भगवान अमूल्य वस्तु उन्हीं को देते हैं, जिनका हृदय देने की क्षमता रखता है।"

महिला की आँखें भर आईं।

संत चिदंबरम् आगे बोले—

"जाओ, पहले अपने भीतर ममता जगाओ। किसी भी बच्चे को देखकर उसे अपना समझो। उसे स्नेह दो, संरक्षक बनो। और हाँ, एक अनाथ बच्चे को अपने घर में स्थान दो। उसे अपने हृदय से अपनाओ। देखना, उसी क्षण तुम्हारा निस्संतान होना समाप्त हो जाएगा। यह संसार केवल अपने लिए जीने वालों को वरदान नहीं देता, बल्कि उन लोगों को देता है जो दूसरों को अपनी गोद में स्थान देते हैं।"

महिला और उसका पति लज्जित हुए, पर भीतर एक नई रोशनी जल चुकी थी। जाते समय महिला ने उन चनों के खाली कागज़ को हाथ में दबा कर महसूस किया—जैसे उसकी आत्मा ने पहली बार देने का महत्व समझ लिया हो।

कई महीनों बाद वही दंपति फिर आश्रम आया। उनके साथ एक नन्ही-सी बच्ची थी—गोरी, दुबली, पर चमकती आँखों वाली। वह किसी अनाथालय से लाई गई थी और दंपति की गोद में खिल उठी थी।

महिला ने संत के चरणों में झुककर कहा—

"महाराज, अब हम सच में निस्संतान नहीं हैं। हमने महसूस किया कि ममता देना ही मातृत्व है।"

संत ने बच्ची को प्यार से देखा और बोले—

"माँ बनने का पहला कदम संतान को जन्म देना नहीं—अपने भीतर करुणा को जन्म देना है।"

और आश्रम में उस क्षण जो शांति फैली, वह किसी आशीर्वाद से कम नहीं थी।

यदि आप चाहें, मैं इस कहानी को और भी विस्तृत, भावपूर्ण, संवादों से भरपूर एवं और लंबा बनाकर महाकाव्यात्मक ढंग से भी लिख सकता हूँ।

बांग्लादेश में अब स्वतंत्रता सेनानी और उनकी पत्नी की निर्मम हत्या, आखिर कहाँ जाएँ बांग्लादेशी हिंदू?

बांग्लादेश के रांगपुर में 1971 के मुक्ति संग्राम के वीर योद्धा जोगेश चंद्र रॉय और उनकी पत्नी सुबर्णा रॉय की गला रेतकर हत्या ने जनमानस के मन-मस्तिष्क को झकझोर दिया है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह केवल एक सनसनीखेज आपराधिक घटना है या फिर यह उस गहरी बीमारी का लक्षण है जिसने बांग्लादेश की आत्मा को भीतर तक खोखला कर दिया है? 75 वर्ष के एक स्वतंत्रता सेनानी की इस तरह घर में बेरहमी से हत्या होना किसी भी समाज के लिए शर्म की बात है, लेकिन बांग्लादेश के संदर्भ में यह घटना और भी भयावह इसलिए है क्योंकि यह उस सतत बढ़ते पैटर्न का हिस्सा है जिसमें अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा लगातार बिगड़ती जा रही है।रिपोर्टों के मुताबिक, सुबह जब पड़ोसियों ने दरवाज़ा खटखटाया और कोई जवाब नहीं मिला, तो वह सीढ़ी लगाकर भीतर गए, जहाँ पति का शव डाइनिंग रूम में और पत्नी का शव रसोई में पड़ा था। दोनों के गले बेरहमी से काटे गए थे। न लूटपाट, न कोई विवाद, न कोई सुराग, केवल एक भयावह चुप्पी थी। पुलिस के पास न कोई संदिग्ध है, न कोई दिशा और न किसी तरह की प्रगति। यह एक अकेली घटना नहीं, बल्कि उस अव्यवस्था का प्रतिबिंब है जिसमें आज बांग्लादेश का प्रशासन पूरी तरह जकड़ा हुआ है।

देखा जाये तो शेख हसीना को हटाने के बाद से बांग्लादेश में जो माहौल बना है, उसने अल्पसंख्यक समुदायों विशेषकर हिंदुओं, के जीवन को दहशत में बदल दिया है। मंदिर जलाने, हिंदुओं के घरों पर हमले, परिवारों का रातों-रात पलायन और अब स्वतंत्रता सेनानियों की हत्या जैसे मामलों ने दुनिया को झकझोर दिया है। इन सब घटनाओं के बावजूद अंतरिम शासक मुहम्मद यूनुस चुप्पी साधे हुए हैं। सवाल उठता है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के प्रति आखिर कब तक अपनी आँखें बंद रखेगी?

देखा जाये तो यूनुस शासन वास्तव में उन इस्लामवादी ताकतों के सहारे टिका है जिन्होंने हमेशा से अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को चुनौती दी है। जमात-ए-इस्लामी जैसी कट्टरपंथी संगठन खुलकर सक्रिय हैं और उनके उभार का सीधा परिणाम हिंदुओं पर हमले, दहशत और अब टार्गेट किलिंग है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश का पुलिस ढांचा खुद अपंग हालत में है। 2024 के आंदोलन के दौरान जिस तरह पुलिस बल पर हमले हुए, उसके बाद आज तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। कई पुलिसकर्मी वापस ड्यूटी पर नहीं लौटे, कई मारे गए और कई लापता हैं। ऐसे में एक स्वतंत्रता सेनानी के दो बेटे जो खुद पुलिस में हैं, वह अपने माता-पिता की रक्षा तक सुनिश्चित नहीं कर सके तो फिर आम हिंदू परिवार किस पर भरोसा करे?

हम आपको यह भी बता दें कि भारत ने 2021 से अब तक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा के 3,582 मामले आधिकारिक तौर पर उठाए हैं। मानवाधिकार संगठन चेतावनी पर चेतावनी जारी कर रहे हैं। लेकिन ढाका के सत्ता-गलियारों में यह सब प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर दिया जाता है। बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घट रही है। हर वर्ष हजारों परिवार पलायन कर रहे हैं और अब जब देश की स्वतंत्रता का प्रतीक व्यक्ति अपने ही घर में असहाय मारा जाता है, तो यह केवल अपराध नहीं, यह पूरे राष्ट्र के चरित्र पर प्रहार है। यह बताता है कि अब स्थिति केवल खराब नहीं, बल्कि नियंत्रण से बाहर हो चुकी है।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की क्षमता रखता है? या क्या बांग्लादेश में ऐसा करने की इच्छा भी बची है? सवाल यह भी उठता है कि यदि एक मुक्ति-योद्धा भी सुरक्षित नहीं है तो फिर अन्य कोई कैसे सुरक्षित हो सकता है? जोगेश चंद्र रॉय और उनकी पत्नी की हत्या एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जिसे अनसुना करना बांग्लादेश को और भी गहरे अंधकार में धकेलेगा। दुनिया को भी अब इस स्थिति को आंतरिक मामला कहकर नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। यह एक देश, एक समुदाय और उस ऐतिहासिक संघर्ष की आत्मा पर हमला है जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया था। यदि बांग्लादेश को अपनी बहुलतावादी पहचान बचानी है, तो उसे इस हिंसा पर लगाम लगानी ही होगी, वरना इतिहास एक दिन यही लिखेगा कि देश ने अपने ही नायकों, अपने ही नागरिकों और अपनी ही मानवता को खो दिया।

अभियान

नींबू–मिर्च का वह रहस्य, जो आँखों से नहीं पर ऊर्जा से दिखता है

भारतीय घरों की चौखट पर टंगा हुआ नींबू-मिर्च केवल एक धागे में बंधा साधारण सा टोटका नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से सहेजी गई एक ऐसी परंपरा है जिसे दादी-नानी ने अपने अनुभवों, सावधानी और अदृश्य ऊर्जा-बोध के आधार पर जीवन का हिस्सा बनाया। आज के समय में लोग इसे बस एक पुरानी आदत समझते हैं, लेकिन इसके पीछे जो कथा, भावना और ऊर्जा की समझ छिपी है, वह किसी लंबी कहानी की तरह है, जिसमें परिवार की रक्षा, सकारात्मकता और अदृश्य शक्तियों का संतुलन छिपा है।

पुराने समय की बात है। एक बड़ा संयुक्त परिवार था—आँगन में नीम का पेड़, बरामदे की खपरैल छत, रसोई से उठती हल्दी-धनिए की महक और दरवाज़े पर हमेशा टंगा नींबू-मिर्च। घर की सबसे बुज़ुर्ग सदस्य, दादी मालती, हर शनिवार सुबह नई नींबू-मिर्च बनाकर दरवाजे पर टांगती थीं। बच्चे अक्सर उनसे पूछते—"दादी, ये क्यों लगाती हो?" और दादी मुस्कुराकर कहतीं—"बेटा, यह घर की रक्षा करता है। बुरी हवाएँ, बुरी नज़र और बुरा मन सब इससे बाहर ही रह जाता है।"

एक दिन गाँव में नया चौक बना और शहर के लोग भी गाँव आने लगे। बड़ी-बड़ी कारें, चमकदार कपड़े, और शहर की चमक देखने वाला गाँव उत्सुक भी था और थोड़ा चकित भी।

उसी दौरान घर में कुछ अनोखी घटनाएँ होने लगीं। कोई बीमार पड़ गया, कभी गाय दूध देना बंद कर देती, कभी बिना वजह चीजें टूट जातीं। घर के लोग कहते—"सब ठीक-ठाक है, फिर ये अशांति क्यों?"

दादी ने दरवाज़े को देखा—नींबू-मिर्च का बंधा सूख चुका था और कई दिनों से बदला नहीं था।

दादी ने उसी शाम नए नींबू और सात हरी मिर्चें मँगवाईं। बच्चों के साथ बैठकर उसने नींबू की ताज़ा खुशबू और मिर्च की तेज़ ऊर्जा को महसूस किया। फिर धागा बाँधते हुए बोलीं—

"जब कोई किसी को जलन या ईर्ष्या से देखता है, तो वह नज़र सिर्फ आँखों का खेल नहीं होती। वह एक ऊर्जा होती है, और ऊर्जा हमेशा असर करती है। नींबू उस ऊर्जा को सोख लेता है और मिर्च उसे काट देती है। जैसे घर की देहरी पर पहरा दे रही हो।"

बच्चे मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे।

उस रात जब नींबू-मिर्च फिर से दरवाजे पर टंगा, तो जैसे घर में सदियों की जमी पुरानी हवा बदल गई हो। सुबह-सुबह गाय फिर से दूध देने लगी, घर का बीमार बच्चा खिड़की खोलकर बैठा और बरामदे में बैठी दादी ने कहा—

"देखो, घर की हवा फिर से साफ लग रही है।"

लेकिन असली कहानी कुछ और गहरी थी।

दादी जानती थीं कि पुराने समय में न तो डॉक्टर थे, न दवाइयों की भरमार। हवा में बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म कीटाणु और कीड़े घर में प्रवेश कर जाते थे। नींबू का खट्टापन और मिर्च की तीक्ष्णता कई कीटाणुओं को रोक देती थी। गाँव में अक्सर महामारी और बुखार के समय लोग अपने घरों पर इसे लगाते थे ताकि हवा थोड़ी शुद्ध बनी रहे।

धीरे-धीरे इस व्यावहारिक सावधानी को लोग ऊर्जा के विज्ञान से जोड़ने लगे। भारतीय परंपराएँ अक्सर विज्ञान और आध्यात्मिकता का मिश्रण रही हैं। दादी कहती थीं—

"कुछ बातें विज्ञान से सिद्ध होती हैं और कुछ अनुभव से। पर दोनों का लक्ष्य एक ही होता है—घर की रक्षा।"

समय बीतता रहा, बच्चे बड़े हो गए, और दादी की उम्र भी बढ़ती गई। एक दिन बड़ी बहू ने कहा—

"माँ, अब तो जमाना बदल गया है। नींबू-मिर्च लगाने की क्या ज़रूरत है? लोग कहेंगे कि हम पुराने खयालात के हैं।"

दादी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा—

"जमाना बदले, दिल की समझ नहीं। नींबू-मिर्च सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह घर की दहलीज़ पर लगा एक संदेश है—

कि इस घर में नज़र, जलन, बीमारी और नकारात्मकता का प्रवेश वर्जित है।

इस घर में सिर्फ प्रेम, शांति और सद्भावना का स्वागत है।"

उनकी आँखों में ऐसी दृढ़ता थी कि बहू धीरे से चुप रह गई।

कुछ महीनों बाद शहर से एक रिश्तेदार आया। घर में नई कार देखी, नए कपड़े, खुशहाली—और उसके मन में अनजाने में थोड़ी ईर्ष्या भर गई।

दादी ने दरवाजे की ओर देखा—नींबू-मिर्च का बंधा फिर सूख चुका था।

वह मुस्कुराईं— "नज़र तो हर किसी की लगती है बेटा पर उपाय वही रहता है—हवा को शुद्ध रखना, मन को हल्का रखना और दहलीज़ को मजबूत रखना।"

अगले ही दिन उन्होंने फिर से ताज़ा नींबू-मिर्च टांगा।

और घर की हवा सचमुच फिर बदल गई।

आज भी जब कोई बच्चा उनसे पूछता—"दादी, नींबू-मिर्च क्यों लगाते हैं?"

तो दादी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर कहतीं—

"क्योंकि हर घर को एक पहरेदार चाहिए और यह प्रकृति का बनाया हुआ सबसे सरल पहरेदार है।"

दादी की समझ, नींबू की खुशबू, मिर्च की तीखापन और घर की चौखट पर टंगा वह छोटा-सा धागा—इन सबने मिलकर पीढ़ियों को सिखाया कि किसी भी परंपरा के पीछे सिर्फ डर नहीं होता, बल्कि घर को सुरक्षित, शांत और सुखमय बनाने का सदियों पुराना अनुभव होता है।

और इसी अनुभव ने नींबू-मिर्च को एक टोटका नहीं, बल्कि एक जीवंत कहानी बना दिया—जिसे हर पीढ़ी ने अपनाया, समझा, और आगे बढ़ाया।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

'अंत्योदय' के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

झोंपड़ी बिजलीकरण योजना : राज्य सरकार ने 10 लाख से अधिक गरीबों के जीवन में फैलाया उजाला

▸▸ पिछले 5 वर्ष में 8,499 लाख रुपए की लागत से 1,52,466 झोंपड़ियों का मुफ्त बिजलीकरण, 2025-26 के लिए 1,617 लाख रुपए का प्रावधान

▸▸ वार्षिक आय सीमा पिछले एक दशक में 27 हजार से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए की गई

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात में झोंपड़ियों में रहने वाले गरीबों के घरों को प्रकाशमय करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'झोंपड़ी बिजलीकरण योजना' (झुंपडा वीजळीकरण योजना) लागू है। इस योजना के अंतर्गत झोंपड़ियों में रहने वालों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए जाते हैं। पिछले 5 वर्ष में इस योजना अंतर्गत 8,499 लाख रुपए की लागत से 1,52,466 झोंपड़ियों का मुफ्त बिजलीकरण कर गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाया गया है। इतना ही नहीं; संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में विख्यात श्री भूपेंद्र पटेल ने वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए 1,617 लाख रुपए के खर्च का प्रावधान किया है। साथ ही; योजना का अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें; इसके लिए लाभार्थियों के लिए वार्षिक आय सीमा 1.50 लाख रुपए तक की गई है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में विद्युत आपूर्ति से जुड़े जो सुधारात्मक कदम उठाए थे, उस परंपरा को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उनकी सरकार भी सुचारु रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि राज्य में झोंपड़ियों में रह रहे गरीबों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

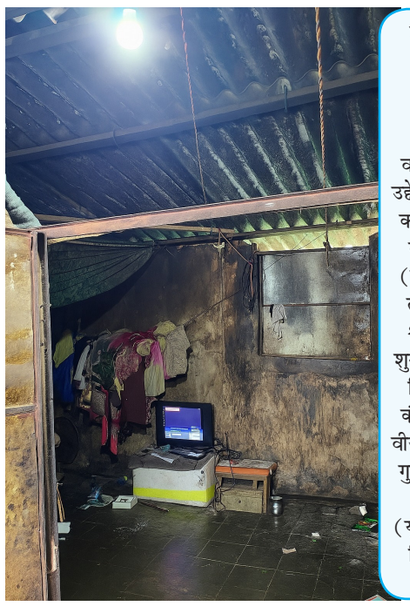

क्या है झोंपड़ी बिजलीकरण योजना ?

राज्य के ऊर्जा एवं पेट्रोरसायन विभाग के अधीनस्थ यह झोंपड़ी बिजलीकरण योजना वर्ष 1996-97 से लागू की गई है। योजना का उद्देश्य गरीब झोंपड़ीवासियों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देना है। झोंपड़ी बिजलीकरण योजना का क्रियान्वयन पूर्व में गुजरात विद्युत मंडल (जीईबी) द्वारा किया जाता था, परंतु 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिजली सुधारों की श्रृंखला शुरू की और जीईबी का पुनर्गठन करते हुए चार विद्युत वितरण कंपनियों दक्षिण गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड (डीजीसीएल), मध्य गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड (एमजीवीसीएल), पश्चिम गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड (पीजीवीसीएल) तथा उत्तर गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड (यूजीवीसीएल) का गठन किया। तब से झोंपड़ी बिजलीकरण योजना का क्रियान्वयन ये चार विद्युत वितरण कंपनियाँ कर रही हैं।

अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने के लिए बढ़ाई गई आय सीमा

ऊर्जा विभाग की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार झोंपड़ी बिजलीकरण योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों और बीपीएल सूची में असमाविष्ट गरीबों को भी बिना किसी जातिगत भेदभाव के दिया जाता है। योजनांतर्गत कोई भी बीपीएल या अन्य गरीब परिवार अपनी झोंपड़ी में निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सके और अधिक से अधिक गरीब योजना का लाभ ले सकें; इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने समय-समय पर वार्षिक आय सीमा में वृद्धि की है। यही कारण है कि वर्ष 2018 में राज्य सरकार ने ग्रामीण झोंपड़ीवासियों के लिए 47 हजार से 1 लाख 20 हजार रुपए तक तथा शहरी झोंपड़ीवासियों के लिए 68 हजार से 1 लाख 50 हजार रुपए तक की आय सीमा निर्धारित की, जबकि इससे पहले यह आय सीमा क्रमशः ग्रामीण के लिए 27 हजार से 47 हजार रुपए तक तथा शहरी के लिए 35 हजार से 47 हजार रुपए तक ही थी। आय सीमा का दायरा बढ़ाने से लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई तथा अधिक से अधिक गरीबों के घरों में उजाला फैलाने में सफलता प्राप्त हुई।

अब तक 10 लाख से अधिक झोंपड़ी बिजलीकरण

राज्य सरकार ने झोंपड़ी बिजलीकरण योजना अंतर्गत अब तक (नवंबर-2025) 10 लाख 9 हजार 736 झोंपड़ियों को मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया है, जिसमें पिछले पाँच वर्ष में 1 लाख 52 हजार 466 झोंपड़ियों का बिजलीकरण हुआ है। राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में इस योजना अंतर्गत 1,617.03 लाख रुपए की लागत से 25 हजार 939 झोंपड़ीवासियों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर उनके जीवन को रोशन किया है। इतना ही नहीं; मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गरीबों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए अगले वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए भी 1,617 लाख रुपए के खर्च का प्रावधन किया है, जिससे राज्य के अधिक से अधिक गरीब झोंपड़ीवासियों के घरों में बिजली का उजाला पहुँच सके और उनके जीवन स्तर में सुधार आए तथा ईज ऑफ लिविंग में वृद्धि हो।

कैसे लिया जा सकता है योजना का लाभ ?

झोंपड़ी बिजलीकरण योजना का ऊर्जा एवं पेट्रोरसायन विभाग के अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में क्रियान्वयन किया जाता है। राज्य स्तर पर गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के मुख्य अभियंता (टेक) द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। निर्धारित आय सीमा वाले बीपीएल या अन्य गरीब लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को तहसील विकास अधिकारी/तहसील पंचायत कार्यालय में, जबकि शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को नगर पालिका/म्युनिसिपालिटी कार्यालय में आवेदन देना होता है। पंजीकृत आवेदनों की सूची सम्बद्ध विद्युत वितरण कंपनियों के सम्बद्ध क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाती है और उसके बाद आवश्यक मानदंड पूर्ण करने वाले आवेदकों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए जाते हैं।

गुजरात का 'ब्लू फ़्लैग शिवराजपुर बीच' बना वैश्विक "बीच टूरिज़्म" का नया प्रतीक, VGRC-2026 में कच्छ-सौराष्ट्र बनेंगे निवेश केंद्र

▸▸ शिवराजपुर बीच: गुजरात के "बीच टूरिज्म" का नया वैश्विक प्रतीक, ब्लू फ्लैग प्रमाणन ने बढ़ाई अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा

▸▸ शिवराजपुर बीच के आसपास 130 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होटल, एडवेंचर टूरिज़्म, सांस्कृतिक-अनुभवात्मक प्रोजेक्ट्स से बढ़ेंगे निवेश के अवसर

▸▸ VGRC, राजकोट में पहली बार कच्छ-सौराष्ट्र पर्यटन सर्किट का समग्र निवेश रोडमैप होगा पेश

शिवराजपुर बीचः ब्लू फ़्लैग प्रमाणन के साथ गुजरात का नया वैश्विक तटीय गौरव

गुजरात की 2340 किमी लंबी तटरेखा पर स्थित शिवराजपुर बीच अपनी स्वच्छता, सुरक्षा और प्राकृतिक शांतिमय सौंदर्य के कारण देश-विदेश में पहले से ही विशिष्ट पहचान रखता है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन ने इसे विश्वस्तरीय समुद्र तटों की श्रेणी में शामिल करते हुए एक प्रतिष्ठित गौरव प्रदान किया है। यह प्रमाणन न केवल पर्यावरणीय प्रबंधन और सुरक्षा मानकों का प्रमाण है, बल्कि गुजरात द्वारा विकसित की जा रही आधुनिक सुविधाओं और टिकाऊ तटीय अवसंरचना की सफलता का भी सशक्त संकेत है। गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड (TCGL) द्वारा 130 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित यह मॉडल प्रोजेक्ट अब राज्य के पर्यटन क्षेत्र की नई पहचान बन चुका है। यही सफलता आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) राजकोट में केंद्र बिंदु बनने जा रही है, जहाँ कच्छ-सौराष्ट्र की तटीय और सांस्कृतिक बेल्ट में व्यापक निवेश अवसरों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात का पर्यटन परिदृश्य आज एक नए वैश्विक मानक की ओर अग्रसर है, और इसका सबसे प्रभावशाली उदाहरण है देवभूमि द्वारका स्थित शिवराजपुर बीच का अद्भुत कायाकल्प जो राज्य का पहला ग्लोबल ब्लू फ्लैग बीच बनने का गौरव प्राप्त कर चुका है। यह उपलब्धि न केवल गुजरात की तटीय सुंदरता को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला रही है, बल्कि राज्य में विश्वस्तरीय, टिकाऊ और आधुनिक पर्यटन अवसंरचना विकसित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण भी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'देखो अपना देश' विजन को साकार करते हुए, शिवराजपुर बीच का यह परिवर्तन घरेलू पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्टता तक पहुँचाने की गुजरात की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है जहाँ भारत का प्रत्येक नागरिक बिना विदेश जाए विश्वस्तरीय समुद्र तट अनुभव का आनंद ले सकता है।

विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित है शिवराजपुरः निवेश और इवेंट टूरिज़्म का उभरता केंद्र

TCGL द्वारा तैयार की गई विकास परियोजनाओं में अत्याधुनिक अराइवल प्लाज़ा, स्नॉर्कलिंग प्लाज़ा, साइकिल ट्रैक, प्रोमेनेड, स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी महत्वपूर्ण संरचनाएँ शामिल हैं, साथ ही 11 किमी से अधिक लंबी नई सड़क ने इस तटस्थल तक पहुँच और बेहतर बना दी है। शिवराजपुर बीच को पर्यटकों के लिए और आकर्षक बनाने हेतु चेंजिंग रूम, शावर रूम, चिल्ड्रन प्ले एरिया जैसी आवश्यक सुविधाएँ भी विकसित की गई हैं। आने वाले महीनों में प्रस्तावित "बीच फेस्टिवल" और विभिन्न थीम-आधारित तटीय आयोजनों की शुरुआत, शिवराजपुर को एक अंतरराष्ट्रीय तटीय इवेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने जा रही है। वहीं, द्वारका-ओखा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा द्वारका, बेट द्वारका और शिवराजपुर के एकीकृत पर्यटन क्षेत्र के लिए बनाई जा रही व्यापक योजनाएँ इस पूरे सर्किट को राज्य के प्रमुख निवेश और पर्यटन विकास केंद्र में परिवर्तित करने की दिशा में निर्णायक कदम साबित होंगी।

आगामी VGRC कच्छ-सौराष्ट्र के पर्यटन परिदृश्य में खोलेगा निवेश के नए स्वर्णिम द्वार

10, 11 और 12 जनवरी 2026 को राजकोट में होने जा रहा वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) कच्छ-सौराष्ट्र पर्यटन सर्किट को केंद्र में रखते हुए प्रदेश के तटीय पर्यटन विकास के लिए एक निर्णायक मंच बनने जा रहा है। शिवराजपुर बीच का विश्वस्तरीय कायाकल्प इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन निवेश की अपार संभावनाओं का आदर्श मॉडल बनकर उभरा है, जिसके आधार पर गुजरात सरकार निवेशकों को बड़े पैमाने पर आकर्षित करने की तैयारी में है। VGRC सम्मेलन के दौरान उद्योग जगत के अग्रणी निवेशकों और रणनीतिक साझेदारों को आमंत्रित किया जाएगा ताकि वे देवभूमि द्वारका में प्रीमियम कोस्टल रिसॉर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स और तटीय एडवेंचर प्रोजेक्ट्स, कच्छ-सौराष्ट्र में इको-टूरिज़्म और हेरिटेज हॉस्पिटैलिटी, गिर क्षेत्र में वन आधारित पर्यटन तथा रण में सांस्कृतिक-अनुभवात्मक पर्यटन जैसे हाई-रिटर्न अवसरों में निवेश करें।

अहमदाबाद मण्डल रेलवे सुरक्षा बल के जून से नवंबर 2025 के दौरान उल्लेखनीय कार्य

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल का रेलवे सुरक्षा बल (RPF) यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे संपत्ति की रक्षा और स्टेशनों पर सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रहा है। जून से नवंबर 2025 के दौरान RPF ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी व मजबूत बनाया। इस अवधि के प्रमुख कार्यों का विवरण इस प्रकार है:

1. रेलवे अधिनियमः अहमदाबाद डिविजन ने रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 14,211 मामले दर्ज किए और इन अभियोजनों के दौरान 14,92,721 का जुर्माना वसूल किया। यह कार्रवाई स्टेशनों एवं ट्रेनों में अनुशासन और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण रही।

2. ऑपरेशन नन्हे फ़रिश्तेः ऑपरेशन नन्हे फ़रिश्ते के तहत अहमदाबाद, साबरमती, मणिनगर, महेसाणा सहित अन्य स्टेशनों से 69 नाबालिग बच्चों और 8 असहाय पुरुष/महिलाओं को बचाकर उनके माता-पिता, अभिभावक, चाइल्डलाइन या पुलिस को सुरक्षित सौंपा गया। मानवता से जुड़े इस कार्य ने RPF की संवेदनशीलता और तत्परता को उजागर किया।

3. ऑपरेशन अमानतः ऑपरेशन अमानत के अंतर्गत 211 लावारिस या खोए हुए सामान, जिनकी कुल कीमत 62,98,194 थी, RPF द्वारा बरामद कर यात्रियों को लौटाए गए।

4. ऑपरेशन सतर्कः अवैध गतिविधियों के विरुद्ध चलाए गए ऑपरेशन सतर्क में अहमदाबाद, साबरमती तथा कांकरिया यार्ड में 4,26,428 मूल्य की अवैध शराब के 47 मामले पकड़े गए और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर GRP को सौंपा गया। यह अभियान रेलवे परिसरों में सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुआ।

5. रेल मददः Rail Madad पर प्राप्त 2,825 शिकायतों का त्वरित समाधान किया गया। इन शिकायतों का औसत निस्तारण समय मात्र 0.06 मिनट रहा, जो RPF की दक्षता और त्वरित सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्राप्त 973 फीडबैक में से 898 यात्रियों ने उत्कृष्ट या संतोषजनक रेटिंग दी।

6. ऑपरेशन रेल सुरक्षाः रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए RP(UP) एक्ट के तहत विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 22 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 21 मामलों का सफलतापूर्वक पता लगा कर 46 बाहरी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

7. ऑपरेशन यात्री सुरक्षाः यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए RPF ने चोरी और अन्य अपराधों पर त्वरित कार्रवाई की। यात्रियों के सामान चोरी के मामलों में 8 आरोपियों को पकड़ा गया और उन्हें GRP के हवाले किया गया। इसके अलावा BNS की विभिन्न धाराओं के 36 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की गई।

8. CCTV के माध्यम से सफलताः अहमदाबाद स्टेशन पर CCTV निगरानी का प्रभावी उपयोग करते हुए चोरी के 10 मामलों का पता लगाया गया, जिससे अपराध नियंत्रण में तकनीक की भूमिका और मजबूत हुई।

9. ऑपरेशन समय पालनः ट्रेनों की समयपालन क्षमता (punctuality) को सुधारने के लिए भी RPF ने प्रभावी अभियान चलाया। अलार्म चेन पुलिंग (ACP) के 924 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 859 मामलों में रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अभियोजन किया गया।

10. जन जागरणः यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को सुरक्षा संबंधी जागरूकता देने के लिए RPF ने नियमित रूप से जन-जागरण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें ट्रैक पार न करना, नशा मुक्ति, पत्थरबाजी रोकथाम, महिला सुरक्षा और मानव तस्करी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता बढ़ाई गई। स्टेशन पर PA सिस्टम, बैनर, पोस्टर और RDN स्क्रीन के माध्यम से भी संदेश प्रसारित किए गए।

11. ट्रेन एस्कॉर्टिंगः ट्रेन एस्कॉर्टिंग के क्षेत्र में अहमदाबाद डिविजन ने उल्लेखनीय कार्य किया। प्रतिदिन औसतन 20 महत्वपूर्ण रात की ट्रेनों में RPF जवान तैनात किए गए, जबकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रतिदिन औसतन 7 मिश्रित (महिला+पुरुष) दल एस्कॉर्टिंग में लगाए गए। इससे रात के समय यात्रा कर रहे यात्रियों, विशेषकर महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा।

12. लेवल क्रॉसिंग गेट मामलेः रेलवे फाटक क्षति के 69 मामलों में से 64

जस्टिस स्वामीनाथन पर विपक्ष का महाभियोग दांव

नई दिल्ली में मंगलवार का दिन राजनीतिक हलचल से भरा रहा, जब विपक्षी दलों के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल ने मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ के जज जस्टिस जी. आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की मांग को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने औपचारिक रूप से रख दिया। इस नोटिस पर कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, और कई अन्य दलों के 120 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, जो इसे हाल के वर्षों में किसी जज के खिलाफ सबसे बड़े सामूहिक राजनीतिक कदमों में से एक बनाते हैं।

यह पूरा विवाद उस निर्णय से शुरू हुआ, जिसमें जस्टिस स्वामीनाथन ने तमिलनाडु के एक दरगाह के निकट स्थित मंदिर में कार्तिगई दीपम जलाने से जुड़े मामले पर टिप्पणी की थी। विपक्ष का आरोप है कि उनके फैसले में न केवल तथ्यात्मक विसंगतियां थीं बल्कि उसमें कथित तौर पर साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री भी पाई गई, जो संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के विपरीत है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, और डीएमके के वरिष्ठ नेता टी. आर. बालू के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं का समूह लोकसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचा। मुलाकात के बाद विपक्षी नेताओं ने कहा कि जज पर लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं और संसद के सामने यह जिम्मेदारी है कि न्यायपालिका की गरिमा और निष्पक्षता को लेकर किसी भी तरह का संदेह बना रहे, तो उसे दूर किया जाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि 'यह केवल किसी एक फैसले का सवाल नहीं है, बल्कि न्याय के सिद्धांतों और अदालतों की विश्वसनीयता से जुड़ा मामला है।'

चांदी वायदा में 1326 रुपये की तेजीः सोना वायदा में 4 रुपये का सुधारः क्रूड ऑयल वायदा 19 रुपये फिसला

कमोडिटी वायदाओं में 27200.53 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 95428.73 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवरः सोना-चांदी के वायदाओं में 20686.86 करोड़ रुपये का हुआ कारोबारः बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 31260 पॉइंट के स्तर पर

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 122635.16 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 27200.53 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 95428.73 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 31260 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 1634.1 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 20686.86 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 130045 रुपये के भाव पर खूलकर, 130288 रुपये के दिन के उच्च और 129101 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 129962 रुपये के पिछले बंद के सामने 4 रुपये या 0 फीसदी की मजबूती के साथ 129966 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा 152 रुपये या 0.15 फीसदी बढ़कर 104215 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 2 रुपये या 0.02 फीसदी की गिरावट के साथ 13048 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। सोना-मिनी जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 128893 रुपये के भाव पर खूलकर, 128990 रुपये के दिन के उच्च और 127833 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 46 रुपये या 0.04 फीसदी की गिरावट के साथ 128690 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 129095 रुपये के भाव पर खूलकर, 129252 रुपये के दिन के उच्च और 128140 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 129030 रुपये के पिछले बंद के सामने 30 रुपये या 0.02 फीसदी की गिरावट के साथ 129000 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 182769 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 184163 रुपये और नीचे में 180100 रुपये पर पहुंचकर, 181742 रुपये के पिछले बंद के सामने 1326 रुपये या 0.73 फीसदी की तेजी के संग 183068 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इनके

अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 1383 रुपये या 0.76 फीसदी की तेजी के संग 183763 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 1320 रुपये या 0.72 फीसदी बढ़कर 183753 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

मेटल वर्ग में 3268.05 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 10.85 रुपये या 0.99 फीसदी घटकर 1086.2 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 2.25 रुपये या 0.72 फीसदी गिरकर 311.8 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 2.25 रुपये या 0.81 फीसदी औंधकर 276 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा दिसंबर वायदा 60 पैसे या 0.33 फीसदी की नरमी के साथ 181.85 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 3211.26 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल दिसंबर वायदा 5311 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5326 रुपये और नीचे में 5280 रुपये पर पहुंचकर, 19 रुपये या 0.36 फीसदी घटकर 5315 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी दिसंबर वायदा 17 रुपये या 0.32 फीसदी गिरकर 5317 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 440.1 रुपये के भाव पर खूलकर, 440.2 रुपये के दिन के उच्च और 431.1 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 448.9 रुपये के पिछले बंद के सामने 13.5 रुपये या 3.01 फीसदी की गिरावट के साथ 435.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी दिसंबर वायदा 13.5 रुपये या 3.01 फीसदी घटकर 435.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा 908.9 रुपये पर खूलकर, 80 पैसे या 0.09 फीसदी टूटकर 906 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 9081.41 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 11605.45 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2654.80 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 224.13 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 40.59 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 348.11 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 548.10 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2650.88 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 5.48 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.57 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 14777 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 69104 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 19818 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 340783 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 33920 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 19254 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 41519 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 116034 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17077 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 28927 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 31233 पॉइंट पर खूलकर, 31350 के उच्च और 31000 के नीचले स्तर को छूकर, 66 पॉइंट बढ़कर 31260 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल दिसंबर 5300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 15.6 रुपये की गिरावट के साथ 99.3 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 440 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 7 रुपये की गिरावट के साथ 20.25 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 136000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 3 रुपये की बढ़त के साथ 571.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 185000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 740 रुपये की बढ़त के साथ 5255 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 6.37 रुपये की गिरावट के साथ 15.5 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 315 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 97 पैसे की नरमी के साथ 2.82 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल दिसंबर 5300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 3.5 रुपये की बढ़त के साथ 86.2 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 430 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 5.7 रुपये की बढ़त के साथ 19.5 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 129000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 53.5 रुपये की गिरावट के साथ 1760.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 180000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 489 रुपये की गिरावट के साथ 4457 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1080 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2.99 रुपये की बढ़त के साथ 18.1 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 93 पैसे के सुधार के साथ 3.96 रुपये हुआ।

'सतर्कता हमारी संयुक्त जिम्मेदारी' के सूत्र के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में मनाया गया अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- अधिकार से बाहर का नहीं लेना चाहिए; यह हमारी संस्कृति की विरासत के संस्कार हैं
- जो कार्य या ड्यूटी करें, उससे आत्मसंतोष हो; वही सच्ची कर्तव्यनिष्ठा
- भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) की छवि ऐसी हो कि गलत करने वाले को सतत भय रहे कि गलत हो ही नहीं

- उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की प्रेरक उपस्थिति

- मुख्यमंत्री-उप मुख्यमंत्री ने एसीबी में उत्तम कार्य करने वाले पुलिस कर्मचारियों, अधिकारियों का तथा भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध शिकायत कर उन्हें गिरफ्तार करवाने वाले साहसी नागरिकों का सम्मान किया

- भ्रष्टाचार के विरुद्ध सामाजिक जागरूकता अभियान में वक्तव्य एवं निबंध प्रतियोगिताओं के 12 विजेता छात्रों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए

- अनिवार्य सेवानिवृत्ति के ऐतिहासिक आँकड़े मृदु एवं दृढ़ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध आक्रामक रुख दर्शाते हैं : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के अवसर पर गुजरात राज्य भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) द्वारा गांधीनगर में आयोजित समारोह में कहा कि एसीबी किसी गरीब की सहायक होने का भाव उजागर करने के लिए कार्य करने वाला विभाग है। श्री पटेल ने कहा कि हम जो कार्य करें या ड्यूटी निभाएँ, उससे आत्मसंतोष हो; ऐसी हमारी कर्तव्यनिष्ठा हो, जिससे यह भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाना ही न पड़े। उन्होंने ऐसा श्रेष्ठ वातावरण निर्मित करने की भी प्रेरणा दी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में आयोजित समारोह में एसीबी में उत्तम कार्य करने वाले लगभग 10 कर्मचारियों-अधिकारियों का सम्मान किया। इतना ही नहीं; किसी न किसी कार्य के लिए रिश्वत मांगने वाले भ्रष्टाचारी अधिकारियों का पर्दाफाश कर एसीबी में उनके विरुद्ध आवाज उठा कर तथा शिकायत कर उन्हें गिरफ्तार करवाने वाले 4 साहसी नागरिकों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध सामाजिक जागरूकता अभियान के तहत सतर्कता सप्ताह के दौरान आयोजित निबंध एवं वक्तव्य प्रतियोगिताओं के विजेता 12 छात्रों को प्रमाणपत्र भी इस अवसर पर प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'विकास भी, विरासत भी' का मंत्र हमें दिया है। हम दिन-प्रतिदिन विकास करते जा रहे हैं। उसके साथ हम 'अधिकार से बाहर का नहीं लेना चाहिए' की हमारी संस्कार विरासत को भी बनाए रखें और हमारे कार्य में ही आत्मसंतोष खोजें।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भ्रष्टाचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं ही किया जा सकता। इस जीरो टोलरेंस की प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत के लिए कार्यरत हैं। हमें विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात बनाने में अग्रसर रहना है और इसके लिए आवश्यक है कि भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात के निर्माण क लिए एसीबी कड़ाई से पेश आए।

उन्होंने एसीबी द्वारा भ्रष्टाचारियों को पस्त किए जाने के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि एसीबी की ऐसी कड़ी एवं सतर्क छवि बनाएँ कि गलत करने वाले को सतत भय रहे कि कुछ गलत हो ही नहीं। इससे भ्रष्टाचार रुकेगा और गुजरात की विकास यात्रा को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भगवान श्री रामचंद्र द्वारा राजमहल छोड़कर किए गए वनवास तथा लुटेरे वाल्मीकि से ऋषि वाल्मीकि होने के कर्मयोग भाव के उदाहरण भी मार्मिक ढंग से समझाए।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने समाज व्यवस्था में भ्रष्टाचाररूपी दीमक को कंट्रोल में रखने का कार्य करने वाले एसीबी की समग्र टीम को अभिनंदन देते हुए कहा कि गुजरात की एसीबी टीम ने किसी भी प्रकार के क्लास, कैडर या अधिकारी जैसे लेवल को देखे बिना यानी केवल छोटे लोगों को ही नहीं, बल्कि प्रशासन के उच्च पदों पर बैठे भ्रष्टाचारियों को भी पकड़कर साहस के साथ कड़ी कार्रवाई की है। पिछले तीन वर्ष में 34 क्लास वन तथा 98 क्लास टू अधिकारियों के विरुद्ध जाल बिछाकर करप्शन के केस दर्ज किए गए हैं। चालू वर्ष में 194 केस दर्ज किए गए हैं और 277 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

मुख्यमंत्री के मृदु एवं दृढ़ स्वभाव का उल्लेख कर राज्य में चले ऑपरेशन गंगाजल का हवाला देते हुए श्री संघवी ने जोड़ा कि भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध आक्रामकता तथा जीरो टोलरेंस की नीति से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल अत्यंत दृढ़ता से कदम उठा रहे हैं। अनिवार्य (बाध्य) सेवानिवृत्ति के ऐतिहासिक आँकड़े इसके साक्षी हैं।

उप मुख्यमंत्री ने टेक्नोलॉजी के अधिकतम् उपयोग पर बल देते हुए कहा कि एसीबी की टीम टेक्नोक्रेट है। इस टीम द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों तथा उन पर कार्रवाई के लिए एआई सहित और भी विभिन्न आधुनिक टेक्नोलॉजी का अधिकतम् उपयोग किया जाना चाहिए।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री एम. के. दास ने कहा कि आज जब समग्र विश्व में एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है, तब भ्रष्टाचार केवल भारत की समस्या नहीं है, अपितु यह अंतरराष्ट्रीय समस्या है। भ्रष्टाचार देश के विकास में बहुत बड़ा अवरोध बनता है, जिसके गरीब नागरिकों को बहुत परेशानियाँ होती हैं।

श्री दास ने जोड़ा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सुझाव है कि यूनिटी विजिलेंस से प्रिवेंटिव विजिलेंस अधिक महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में गुजरात सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं; जिसमें सरल नियम, बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राजस्व कानूनों में फेरबदल शामिल हैं।

इस कार्यक्रम में स्वागत संबोधन करते हुए एसीबी निदेशक श्री पीयूष पटेल ने कहा कि पिछले दो महीनों में एसीबी द्वारा सतर्कता जागृति सप्ताह अंतर्गत राज्य के अलग-अलग स्कूलों में 'भ्रष्टाचार – देश के विकास में अवरोधक परिबल', 'जागृत नागरिक – विकसित देश' जैसे विषयों पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 'जागरूकता, पारदर्शिता एवं प्रामाणिकता मेरी नजर में' और 'मैं एक प्रामाणिक अधिकारी' जैसे विषयों पर वक्तव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ लिए जाने के कार्यक्रम किए गए। इसके अलावा; जन जागृति के अंतर्गत नुक्कड़ नाटकों, मैराथन दौड़ का आयोजन तथा एसीबी की हेल्पलाइन 1064 के पैम्फ्लेट का व्यापक प्रचार किया गया। इस अवसर पर गुजरात सतर्कता आयोग की आयुक्त श्री संगीता सिंह, सीआईडी क्राइम एंड रेलवे डीजीपी डॉ. के. एल. एन. राव, एनएफएसयू के उप कुलपति डॉ. जे. एम. व्यास, एसीबी के अधिकारी, कर्मचारी, जागरूकता दर्शाकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत करने वाले नागरिक तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे।

चूरू – सादुलपुर खंड में ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित

(जीएनएस)। उत्तर पश्चिम रेलवे के चूरू – आसलु – दूधवा खारा स्टेशनों के मध्य इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्य के लिए जनवरी 2026 में ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी तथा कुछ को रेगुलेट किया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:-

परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें:

1. 20 से 22 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 14702 बांद्रा टर्मिनस – श्री गंगानगर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग सादुलपुर–लोहारू–सीकर के रास्ते चलाई जाएगी तथा नवलगढ़, झुंझुनू और लोहारू स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव होगा।
2. 20 से 23 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 14701 श्री गंगानगर – बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग सीकर – लोहारू – सादुलपुर के रास्ते चलाई जाएगी तथा लोहारू, झुंझुनू और नवलगढ़ स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव होगा।
3. 22 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 04712 बांद्रा टर्मिनस – बीकानेर स्पेशल परिवर्तित मार्ग जयपुर – बीकानेर के रास्ते चलाई जाएगी तथा फुलेरा, मकराना, डेगाना, नागौर और नोखा स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव होगा।
4. 21 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 04711 बीकानेर – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल परिवर्तित मार्ग बीकानेर – जयपुर के रास्ते चलाई जाएगी तथा नोखा, नागौर, डेगाना, मकराना और फुलेरा स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव होगा।
5. 22 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19271 भावनगर टर्मिनस – हरिद्वार एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग मेड़ता रोड – बीकानेर – बठिंडा – धुरी के रास्ते चलाई जाएगी तथा नागौर, नोखा, बीकानेर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़ और बठिंडा स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव होगा।
6. 21 एवं 24 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19272 हरिद्वार – भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग धुरी – बठिंडा – बीकानेर – मेड़ता रोड के रास्ते चलाई जाएगी तथा बठिंडा, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, बीकानेर, नोखा और नागौर स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव होगा।

रेगुलेट होने वाली ट्रेनें:

1. 03 से 17 जनवरी, 2026 (3 ट्रिप) को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19027 बांद्रा टर्मिनस – जम्मू तवी एक्सप्रेस मार्ग में चूरू स्टेशन पर 30 मिनट रेगुलेट की जाएगी।
2. 05 से 19 जनवरी, 2026 (3 ट्रिप) को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22915 बांद्रा टर्मिनस – हिसार एक्सप्रेस मार्ग में चूरू स्टेशन पर 30 मिनट रेगुलेट की जाएगी।

पश्चिम रेलवे ने अप्रैल से नवम्बर, 2025 के दौरान गहन टिकट जांच अभियानों से प्राप्त किया लगभग ₹140 करोड़ रुपये का जुर्माना

एसी उपनगरीय लोकल से 2.40 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अपने पूरे नेटवर्क पर व्यापक और सतत टिकट जांच अभियान निरंतर चला रही है। राजस्व हानि रोकने और यात्रा अनुशासन को सुदृढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत, पश्चिम रेलवे के टिकट जांच स्टाफ ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में सराहनीय एवं उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी, श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारियों के सक्रिय मार्गदर्शन में अत्यंत प्रेरित टिकट जांच स्टाफ ने मुंबई उपनगरीय लोकल ट्रेनों, लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों, पैसेंजर सेवाओं तथा हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों में कठोर जांच अभियान चलाए हैं। इन अभियानों का उद्देश्य राजस्व लीकेज को न्यूनतम करना और यात्रा अनुशासन को मजबूत बनाना रहा है।

अप्रैल से नवम्बर, 2025 की अवधि में, 21.70 लाख से अधिक बिना टिकट/अनियमित यात्रियों का पता लगाया गया, जिसमें बिना बुक किए गए सामान के मामले भी शामिल हैं जिसके परिणामस्वरूप लगभग 140 करोड़ रुपये की वसूली हुई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 50% अधिक है। नवम्बर, 2025 के दौरान ही 2.80 लाख से अधिक बिना टिकट/अनियमित यात्रा के मामलों का पता लगाकर 18.25 करोड़ रुपये की राशि वसूली गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% से अधिक की वृद्धि को दर्शाती है।

पश्चिम रेलवे द्वारा एसी उपनगरीय लोकल ट्रेनों में भी केंद्रित जांच अभियान चलाए गए। सामान्य टिकटधारकों द्वारा अनधिकृत यात्रा रोकने हेतु बार-बार औचक जांच की गई। अप्रैल से नवम्बर, 2025 के दौरान एसी लोकल सेवाओं में लगभग 75 हजार दंडात्मक मामलों का पता लगाकर 2.40 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 85% वृद्धि को दर्शाती है।

श्री विनीत ने आगे बताया कि टिकट जांच एक सतत जिम्मेदारी है, जिसमें कुशलता और विनम्रता दोनों आवश्यक हैं, और पश्चिम रेलवे को अपने समर्पित टिकट जांच स्टाफ पर गर्व है। ऐसे ही एक टिकट जांच स्टाफ सदस्य श्री अशुतोष कुमार सिंह, जो मुख्यालय, चर्चगेट स्थित फ्लाइंग स्क्वाड में उप मुख्य टिकट निरीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। नियमों एवं प्रक्रियाओं की उत्कृष्ट जानकारी के साथ, उन्होंने पिछले 18 वर्षों में लगातार उल्लेखनीय उत्साह और समर्पण के साथ कार्य किया है। जनवरी, 2025 से नवम्बर, 2025 तक मात्र 11 महीनों में उन्होंने 9200 से अधिक मामलों का पता लगाकर लगभग 1.08 करोड़ रुपये की अब तक की सर्वाधिक वसूली की है। उनका दैनिक औसत संग्रह लगभग 40,000 और प्रतिदिन औसतन 34 मामलों का पता लगाने का है। विशेष रूप से, 18 अक्टूबर, 2025 को उन्होंने एक ही दिन में 150 से अधिक मामलों का पता लगाकर 2.24 लाख रुपये की सर्वोच्च एकदिवसीय वसूली की, जो टिकट जांच स्टाफ के लिए प्रेरणादायक मानक स्थापित करती है।

पश्चिम रेलवे आम जनता से अपील करता है कि कृपया उचित एवं वैध टिकट के साथ ही यात्रा करें।

श्री वी सोमन्ना ने तिरुपति-साईनगर शिरडी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई,नई ट्रेन से तीर्थ पर्यटन, आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा

क्षेत्रों और संस्कृतियों के जोड़ती है देश की जीवन रेखा भारतीय रेल: वी सोमन्ना

(जीएनएस)। रेल और जल शक्ति राज्यमंत्री श्री वी सोमन्ना ने तिरुपति-साईनगर शिरडी एक्सप्रेस का आज नई दिल्ली स्थित रेल भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखा कर शुभारंभ किया।

तिरुपति-साईनगर शिरडी एक्सप्रेस शुरू किए जाने से कई दूरगामी लाभ होंगे। इससे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच रेल संपर्क को काफी मजबूती मिलेगी। यह श्रद्धालुओं के लिए आंध्र प्रदेश की दक्षिण तटीय पट्टी से शिरडी के लिए पहली सीधी ट्रेन सेवा है। यह ट्रेन भारत के दो प्रमुख तीर्थ स्थलों, तिरुपति और शिरडी को सीधे जोड़ कर तीर्थयात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी। इस नई ट्रेन से इसके मार्ग में तीर्थ पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा यह क्षेत्रीय विकास में सहायक होगी। यह यात्रियों को सुरक्षित, आरामदेह और निर्बाध अंतरराज्यीय यात्रा का विकल्प मुहैया कराएगी। इससे तीर्थयात्रियों के समग्र रेल यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी। इस साप्ताहिक ट्रेन से तीर्थयात्री निर्बाध यात्रा कर सकेंगे। ट्रेन को एक तरफ की यात्रा पूरी करने में लगभग 30 घंटों का समय लगेगा।

श्री वी सोमन्ना ने तिरुपति-साईनगर शिरडी एक्सप्रेस के शुभारंभ को चार राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल सिर्फ परिवहन का माध्यम नहीं है। यह देश की जीवन रेखा के रूप में क्षेत्रों और संस्कृतियों को जोड़ती भी है।

रेल और जल शक्ति राज्यमंत्री ने कहा कि अब तिरुपति और शिरडी सीधी ट्रेन सेवा से जुड़ गए हैं। यह ट्रेन नेल्लोर, गुंटूर, सिकंदराबाद, बीदर और मनमाड़ समेत 31 महत्वपूर्ण स्थानों पर रुकेगी। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन से तीर्थ पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने के साथ ही इसके मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक और सिकंदराबाद से सीधी कनेक्टिविटी मुहैया कराएगी। अपने मार्ग में यह एक महत्वपूर्ण शैव मंदिर परली वैजनाथ को भी जोड़ेगी।

श्री वी सोमन्ना ने कहा कि आंध्र प्रदेश में 2014 से रेल अवसंरचना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 2009 से 2014 तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का साझा औसत रेल बजट 886 करोड़ रुपए का था। यह 11 गुना बढ़ कर 2025-26 में 9417 करोड़ रुपए का हो गया। राज्य में 93000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं पर काम जारी है। आंध्र प्रदेश में 2014 से अब तक 1580 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई गईं और 100 प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा किया गया। राज्य में वर्तमान में 73 अमृत स्टेशन हैं। श्री सोमन्ना ने 800 फ्लाईओवरों और पुलों के निर्माण, 110 लिफ्ट और 40 एस्केलेटर लगाए जाने तथा 16 वंदे भारत (8 जोड़ी) और 6 अमृत भारत (3 जोड़ी) ट्रेन सेवाओं की शुरुआत का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे तिरुपति में तिरुपति अमृत स्टेशन समेत 312 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। प्रमुख जारी परियोजनाओं में तिरुपति-पकाला-कटपड़ी मार्ग पर 105 किलोमीटर का दोहरीकरण 1215 करोड़ रुपए के खर्च से किया जा रहा है। कुल 83 किलोमीटर की गुडूर-रेनिगुंटा तीसरी लाइन पर 875 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नादिकुड़ी-श्रीकालाहस्ती 310 किलोमीटर नई लाइन पर 5900 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा, 287 किलोमीटर की विजयवाड़ा-गुडूर तीसरी लाइन पर 6235 करोड़ रुपए और 25 किलोमीटर की येरपेडु-पुडी बाईपास लाइन पर 490 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

आंध्र प्रदेश के सड़क और भवन तथा अवसंरचना और निवेश मंत्री श्री बीसी जनार्दन रेड्डी ने मुख्य अतिथि के तौर पर समारोह में हिस्सा लिया। इसमें उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में तिरुपति के सांसद डॉ मदिला गुरुमूर्ति, विधान परिषद सदस्य श्री बी कल्याण चक्रवर्ती, तिरुपति से विधानसभा सदस्य श्री ए श्रीनिवासुलु तथा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) बोर्ड के सदस्य श्री भानु प्रकाश रेड्डी भी शामिल थे।

अजमेर–मदार सेक्शन में इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण पोरबंदर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (19269) परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी

(जीएनएस)। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा अजमेर–मदार (AII–MDJN) सेक्शन में लेवल क्रॉसिंग संख्या 44 पर आर.यू.बी. के लिए LHS (लोअरिंग ऑफ हाई स्पीड) कार्य किए जाने हेतु दिनांक 11 व 12 दिसंबर, 2025 को ब्लॉक लिया जा रहा है। इस ब्लॉक का प्रभाव पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल की ट्रेन संख्या 19269 पोरबंदर–मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस पर पड़ेगा। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 11 दिसंबर, 2025 (गुरुवार) को पोरबंदर स्टेशन से प्रस्थान करने वाली पोरबंदर–मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (19269) को उपरोक्त ब्लॉक के कारण दौराई–मदार जंक्शन बायपास लाइन के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इस अवधि में यह ट्रेन अजमेर स्टेशन पर नहीं जाएगी।

यात्रियों की सुविधा के लिए दौराई एवं मदार जंक्शन स्टेशनों पर इस ट्रेन को अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया गया है।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पूर्व ट्रेन की नवीनतम स्थिति की जानकारी के लिए भारतीय रेल की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in, NTES ऐप अथवा 139 हेल्पलाइन पर अवश्य संपर्क करें।

पूर्वोत्तर रेलवे में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कुछ ट्रेने प्रभावित रहेगी

(जीएनएस)। पूर्वोत्तर रेलवे के मऊ-पिपहरी डीह-दुल्लहपुर सेक्शन में पेच डबलिंग कमीशनिंग और मऊ-खुरहट प्री-नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण अहमदाबाद मण्डल की कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

आंशिक निरस्त ट्रेनें

16 दिसंबर 2025 की ट्रेन सं. 19489 साबरमती-गोरखपुर एक्सप्रेस वाराणसी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट (समाप्त) होगी तथा वाराणसी - गोरखपुर के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

17 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 19490 गोरखपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस वाराणसी स्टेशन से ऑरिजिनेट (प्रारंभ) होगी तथा गोरखपुर - वाराणसी स्टेशन के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

रिशेड्यूल/रेगुलेट ट्रेनें

17 दिसंबर 2025 की ट्रेन सं. 19489 साबरमती-गोरखपुर एक्सप्रेस अहमदाबाद से 4 घंटे विलंब से प्रस्थान करेगी।

9, 10 और 11 दिसंबर 2025 की ट्रेन सं. 19489 साबरमती-गोरखपुर एक्सप्रेस मार्ग में 50 मिनट रेगुलेट (विलंब) होगी।

मार्ग परिवर्तित ट्रेन

15 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 09466 दरभंगा-अहमदाबाद स्पेशल निर्धारित मार्ग फेफना-इंदारा-मऊ-शाहगंज के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया फेफना-गाजीपुर सिटी-औडिहार-जौनपुर के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन शाहगंज और अयोध्या केंट स्टेशनों पर नहीं जाएगी।

10,13 और 15 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 19166 दरभंगा-अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग फेफना-इंदारा-मऊ-शाहगंज के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया फेफना-गाजीपुर सिटी-औडिहार-जौनपुर के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन शाहगंज, आजमगढ़, मऊ और बलिया स्टेशनों पर नहीं जाएगी।

ट्रेनों के परिचालन, समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे पर ब्लॉक के कारण बांद्रा टर्मिनस - गोरखपुर ट्रेन प्रभावित

(जीएनएस)। पूर्वोत्तर रेलवे में मऊ – पिपरी डीह – दुल्लहपुर स्टेशनों और मऊ - खुरहट स्टेशनों पर पैच डबलिंग के काम को शुरू करने के लिए चल रहे काम को देखते हुए, 06 से 18 दिसंबर, 2025 तक ब्लॉक लिया जाएगा। इसके कारण, ट्रेन संख्या 19091/19092 बांद्रा टर्मिनस – गोरखपुर एक्सप्रेस प्रभावित होगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रभावित ट्रेन का विवरण इस प्रकार है:

15 दिसंबर, 2025 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19091 बांद्रा टर्मिनस - गोरखपुर एक्सप्रेस, वाराणसी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। इसलिए, यह ट्रेन वाराणसी और गोरखपुर स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

इसी प्रकार, 16 दिसंबर, 2025 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19092 गोरखपुर – बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, वाराणसी स्टेशन से ओरिजिनेट होगी। इसलिए, यह ट्रेन गोरखपुर और वाराणसी स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

श्री आशीष वर्मा ने पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक का कार्यभार ग्रहण किया

(जीएनएस)। श्री आशीष वर्मा, भारतीय रेल भंडार सेवा (IRSS) के 1991 बैच के वरिष्ठ अधिकारी ने 08 दिसम्बर, 2025 को पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक का पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पूर्व आप रेल व्हील फैक्ट्री, बेंगलुरु में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा, आप मार्च, 2019 से जुलाई, 2022 तक पश्चिम रेलवे में मुख्य सामग्री प्रबंधक के पद पर भी सेवाएँ दे चुके हैं।

श्री वर्मा को भारतीय रेल में सार्वजनिक खरीद, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तथा सतर्कता के क्षेत्र में 33 वर्षों का समृद्ध अनुभव प्राप्त है। अपने गौरवपूर्ण कार्यकाल के दौरान आपने उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे,

पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे तथा रेल व्हील फैक्ट्री सहित विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर कार्य किया है। सामग्री प्रबंधन तथा खरीद प्रक्रियाओं में आपकी गहन व्यावसायिक दक्षता एवं प्रशासनिक क्षमता के लिए आप व्यापक रूप से सम्मानित हैं।

आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार इंजीनियरिंग में स्नातक किया है तथा कम्युनिकेशन सिस्टम्स में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। आपने नॅशनल अकैडमी ऑफ इंडियन रेलवे (NAIR), पूर्व रेलवे स्टाफ कॉलेज/वड़ोदरा; आईएनएसईएडी/सिंगापुर; आईसीएलआईएफ़/मलेशिया; आईएसबी/हैदराबाद; आईआईएम/लखनऊ; आईआरआईएलएमएम आदि प्रतिष्ठित संस्थानों में कई व्यावसायिक एवं प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है, जिसने आपके क्षेत्रीय ज्ञान एवं नेतृत्व कौशल को और सुदृढ़ किया है।